प्राकृतिक गैस के शेष निकासी योग्य भंडार क्रमशः 765 मिलियन टन एवं 684 बिलियन घन मीटर थे। तथापि, वर्ष 1997-98 के दौरान कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस का उत्पादन एवं इनकी मांग निम्नवत थी:

कच्चे तेल का उत्पादन	:	33.858 मिलियन मीट्रिक टन
कच्चे तेल की मांग	:	64.63 मिलियन मीट्रिक टन
प्राकृतिक गैस की उपलब्धता	:	57 मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन
प्राकृतिक गैस की अनुमानित मांग	:	95.5 मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन

(ख) वर्तमान में देश में प्राकृतिक गैस आयात नहीं की जा रही है। वर्ष 1997-98 के दौरान कच्चे तेल का आयात विविध उत्पादक देशों अर्थात् सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ईरान, मलेशिया और इराक की राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ सावधि संविदाओं के माध्यम से किया गया था। शेष जरुरतें निविदाओं के माध्यम से पूरी की जाती है। जब कि सावधि आपूर्तिकर्ता अपने नौभार अपने ही देशों से जुटाते हैं, निविदाओं के माध्यम से आयातों के लिए पक्षकार विश्वव्यापी स्त्रोतों से आपूर्तियां करते है।

सुजानपुर टीरा क्षेत्र में स्थित इंडेन गैस एजेंसी द्वारा गैस कनैक्शन दिया जाना

988. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के सुजानपुर टीरा क्षेत्र में थित इंडेन गैस एजेंसी द्वारा जिन गावों में गैस कनैक्शन दिये गये हैं, उनका गांव-वार ब्यौरा क्या है तथा इनमें से कौन-कौन से गांव मोटर गाड़ी चलने योग्य सड़क से 500 से 1000 गज की दूरी पर है;

(ख) क्या उक्त एजेंसी उन सभी गांवों में सिलेन्डरों की होम डिलीवरी करती है तथा क्या उनके आदमी रेगूलेटर या गैस सिलेन्डर के लीकेज का निरीक्षण करते है जिनसे कि गैस लीकेज से होने वाले हादसे को रोका जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिलान्तर्गत सुजानपुर टीरा में डिस्ट्रीब्यूटरशिप मैसर्स हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को दी गई है जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार के नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणधीन है और यह डिस्ट्रीब्यूटरशिप वर्ष 1996-97 में आरंभ की गई थी। यह डिस्ट्रीब्यूटरशिप हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा, हमीरपुर और मंड़ी जनपदों में फैली हुई 73 पंचायतों की सेवा कर रही है। प्रत्येक पंचायत में 5 से 10 तक गांव हैं। यह डिस्ट्रीब्यूटरशिप हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रचालन कर रही है जहां नए कनैक्शन एक सिरे से दूसरे सिरे तक मांग पर जारी किए जा रहे थे। यह डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिनांक 01 मई, 1998 की स्थिति के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, हमीरपुर और मंडी जनपदों की 73 पंचायतों में 8758 ग्राहकों की सेवा कर रही है। वर्ष 1996-97 के दौरान 982 तथा वर्ष 1997-98 के दौरान 6041 नए कनेक्शन जारी किए गए थे। दिनांक 15 मई, 1998 को डिस्ट्रीब्यूटरशिप के पास पंजीकृत 560 ग्राहकों की एक छोटी सी प्रतीक्षा सूची है।

(ख) और (ग) वितरक सुजानपुर टीरा के अधिसूचित समिति क्षेत्र के अंतर्गत ग्राहकों को घर पर सुपुर्दगी कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप द्वारा शेष क्षेत्र में आपूर्ति स्थानीय एवं जनपदों प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानीय आपूर्ति बिंदुओं के माध्यम से की जाती है। ग्राहकों को सिलेन्डर सभी निर्धारित सुरक्षा जांच के पश्चात सड़क शीर्ष पर सुपुर्द किए जाते है।

अलमोड़ा जिले में रसोई गैस वितरण सुविधा का विस्तार किया जाना

989. **श्रीमती मालती शर्मा:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अलमोड़ा जिले में भिकियासैण-मासी-चौखुटिया मार्ग पर कोई रसोई गैस सुविधा उपलब्ध नहीं है, यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ख) क्या रानीखेत गैस सर्विस केवल रानीखेत से भिकियासैण एवं चौखुटिया तक ही गैस वितरण करती है;

(ग) यदि हां, तो भिकियासैण-मासी-चौखुटिया मार्ग, जो वहां से 15 कि०मी० दूरी पर है, को गैस वितरण सुविधा से वंचित रखने के क्या कारण हैं; और